बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संख्या–15/ आरोप–ट्रैप (गोपालगंज) 02–15/2026–..........................**(15)/रा0, दिनांक**–............................

समाहर्त्ता, गोपालगंज के पत्रांक–06 दिनांक–16.01.2026 एवं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के प्रेस विज्ञप्ति सं0–10/2026 दिनांक–13.01.2026 के द्वारा श्री विजय कुमार सिंह, राजस्व अधिकारी, बरौली, गोपालगंज को 6,000/–(छः हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावादल द्वारा दिनांक–13.01.2026 को रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने एवं माननीय विशेष न्यायालय, निगरानी मुजफ्फरपुर में उपस्थापित किये जाने की सूचना दी गई है।

2. समाहर्त्ता, गोपालगंज एवं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना से प्राप्त सूचना की गंभीरता के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री विजय कुमार सिंह, राजस्व अधिकारी, बरौली, गोपालगंज को गिरफ्तार किये जाने की तिथि–13.01.2026 से निलम्बित करने का निर्णय लिया गया है।

3. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–9 की कंडिका–1 की उप कंडिका–'क' एवं 'ग' तथा कंडिका–2 में अन्तर्निहित प्रावधानों के आलोक में गिरफ्तार किये जाने की **तिथि–13.01.2026 के प्रभाव से निलम्बित** किया जाता है।

4. हिरासत से मुक्त होने के उपरांत श्री सिंह का मुख्यालय–आयुक्त का कार्यालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया जाता है, जहाँ वे नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज करेंगे। उपस्थिति दर्ज करने के आलोक में उन्हें जीवन–निर्वाह भत्ता नियमानुसार दिया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(अरविन्द कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–15/ आरोप–ट्रैप (गोपालगंज) 02–15/2026–..344.........**(15)/रा0, पटना– 15, दिनांक**–11.03.2026

प्रतिलिपि :– आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/समाहर्त्ता, गोपालगंज/जिला कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

समाहर्त्ता, गोपालगंज से अनुरोध है कि श्री विजय कुमार सिंह के विरूद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर (साक्ष्य सहित) विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ई-मेल

11/3/26
(अरविन्द कुमार)
सरकार के अवर सचिव।